



मामला सं.एडी(एसएसआर) 01/2026

**भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001**

चीन जन.गण. से 'ऐरीलाइड्स' के रूप में भी ज्ञात एरोमेटिक के एसोटी एसिटाइल व्युत्पन्न या हेटरोसाइटिक मिश्रणों के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच में अंतिम जांच परिणाम।

फा.सं. 7/04/2026-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक:..... अक्टूबर, 2026

अधिसूचना
अंतिम जांच परिणाम
मामला सं. एडी(एसएसआर) 01/2026

विषय: चीन जन.गण. से 'ऐरीलाइड्स' के रूप में भी ज्ञात एरोमेटिक के एसोटी एसिटाइल
व्युत्पन्न या हेटरोसाइटिक मिश्रणों के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच में अंतिम
जांच परिणाम।

विषय-वस्तु

क.	प्रस्तावना	
ख.	मामले की पृष्ठभूमि	
ग.	प्रक्रिया	
घ.	विचाराधीन उत्पाद	
	घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध घ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच	
ड.	घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध ड.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच	
च.	विविध मुद्दे एवं गोपनीयता	
	च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध च.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच	
छ.	भारत में आयात के संबंध में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण	
	छ.1 अन्य हितबद्धकारों के अनुरोध छ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच छ.3.1 सामान्य मूल्य छ.3.2 निर्यात कीमत छ.3.3 पाटन मार्जिन	
ज.	क्षति का मूल्यांकन और कारणात्मक संपर्क	
	ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध ज.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच ज.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड	
झ.	क्षति के जारी रहने या बार बार होने की संभावना	
	झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध	

	झ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच	
ज.	कारणात्मक संपर्क और गैर-आरोपण विश्लेषण	
ट.	क्षति मार्जिन की मात्रा	
ठ.	भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे	
	ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध ठ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच	
ड.	प्रकटन पश्चात टिप्पणियां	
	ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध ड.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच	
ढ.	निष्कर्ष एवं सिफारिश	
ण.	आगे की प्रक्रिया	
क.	सामान्य प्रकटन	
ख.	मामले की पृष्ठभूमि	
ग.	प्रक्रिया	
घ.	विचाराधीन उत्पाद	
	घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध घ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच	
ड.	घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार	
	ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध ड.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच	
च.	विविध मुद्दे एवं गोपनीयता	
	च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध च.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच	
छ.	भारत में आयात के संबंध में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण	
	छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध छ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच	

	छ.3.1 सामान्य मूल्य छ.3.2 निर्यात कीमत छ.3.3 पाटन मार्जिन	
ज.	क्षति का मूल्यांकन और कारणात्मक संपर्क	
	ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध ज.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच ज.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड	
झ.	क्षति के जारी रहने या बार बार होने की संभावना	
	झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध झ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच	
ञ.	कारणात्मक संपर्क और गैर-आरोपण विश्लेषण	
ट.	क्षति मार्जिन की मात्रा	
ठ.	भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे	
	ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध ठ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच	

क. प्रस्तावना

फा. सं. 7/04/2026-डीजीटीआर - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) को मेसर्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' या 'घरेलू उद्योग' कहा गया है) से एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें चीन जन.गण. (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'ऐरीलाइड्स' के रूप में भी ज्ञात

एरोमेटिक के एसीटो एसिटाइल व्युत्पन्न या हेटरोसाइटिक मिश्रणों(जिन्हें इसके बाद "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को आगे बढ़ाने तथा उसमें वृद्धि के लिए निर्णायक समीक्षा की मांग की गई है।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी ने संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 7/04/2026 - डीजीटीआर, दिनांक 19 मार्च, 2026 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की। यह जांच करने के लिए नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार जांच शुरू की गई थी कि क्या इस शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या बार बार होने की संभावना है और क्या पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता है।

ख. मामले की पृष्ठभूमि

3. चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयात से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना फा.सं. 6/28/2020-डीजीटीआर दिनांक 21 अगस्त 2020 द्वारा शुरू की गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के अनुसरण में और विस्तृत जांच के बाद, प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि संबद्ध देश से आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचाई है। तदनुसार, प्राधिकारी ने 19 अगस्त 2021 के अंतिम जांच परिणाम द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की। इसके बाद, वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना 60/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 14 अक्टूबर 2021 द्वारा संबद्ध सामानों के आयात पर शुल्क लगाया।
4. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाए गए किसी भी पाटनरोधी शुल्क का, जब तक कि पहले रद्द नहीं किया जाता है, उन्हें लगाए जाने की तारीख से पांच साल की समाप्ति पर प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

"अधिनियम के तहत लगाया गया कोई भी निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए प्रभावी होगा, जब तक कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उस अवधि की समाप्ति से पहले उचित समय के भीतर, अपनी पहल पर या घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत

प्रमाणित अनुरोध पर, उस अवधि की समाप्ति से पहले शुरू की गई समीक्षा पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं कि उक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।"

5. उपरोक्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।
6. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में अंतिम जांच परिणाम दिनांक 19 अगस्त 2021, और अधिसूचना संख्या 60/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 14 अक्टूबर 2021 के सभी पहलू शामिल हैं।

ग. प्रक्रिया

7. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

ग.1 जांच की शुरुआत

- i. जांच शुरू करने से पहले संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में अधिसूचित किया गया था।
- ii. आवेदन-पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ आवेदन-पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति साझा करके जांच की शुरुआत के संबंध में सूचित किया गया था।
- iii. नियम 6 के अनुसार, आवेदन-पत्र की जांच करने और पाटन, क्षति, संभावना और कारणात्मक संपर्क के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए जाने पर, प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/04/2026 - डीजीटीआर दिनांक 19 मार्च 2026 जारी की, जो भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुई, जिसमें विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध देश से आयात के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच शुरू की गई।

ग.2 जांच की अवधि और क्षति अवधि

- iv. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और जांच की अवधि शामिल है।

ग.3 आयात आंकड़े

- v. क्षति की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के लेनदेन-वार आयात आंकड़े प्राप्त करने के लिए डीजी सिस्टम से अनुरोध किया गया था। आंकड़े प्राप्त हो गए थे और लेनदेनों की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए उन पर भरोसा किया गया है।

ग.4 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

- vi. नियम 6(3) के अनुसार, आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति संबद्ध देश की सरकार को उनके दूतावास के माध्यम से, संबद्ध देश के संबद्ध आयातों के ज्ञात निर्यातकों, आवेदन-पत्र की प्रति के लिए लिखित में अनुरोध करने वाले अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी।

ग.5 संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा प्रतिभागिता

- vii. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस जांच के लिए सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के संबंध में सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी गई थी।

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक
1	केमस्केप्स एपीएस
2	साइकेम कंपनी लिमिटेड
3	हांगझू डिंगहाओ केमिकल कंपनी लिमिटेड
4	हांगझू डिंगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
5	हांगझू पैरामाउंट प्रोडक्ट कॉर्पोरेशन

6	नानजिंग स्काईफ्लाई केमिकल कंपनी लिमिटेड
7	नानटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड
8	नानटोंग बूस्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
9	किंगदाओ हैवान ग्रुप कंपनी लिमिटेड
10	किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल कंपनी लिमिटेड
11	किंगदाओ लेंगके कंपनी लिमिटेड
12	शंघाई पॉइंट्स बायोफार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड
13	सिनकेम इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
14	यूनिक केमिकल लिमिटेड
15	वीटा इंटरनेशनल लिमिटेड

viii. संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से निर्यातक प्रश्नावली भी भेजी गई थी। संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरुआत अधिसूचना और निर्यातक प्रश्नावली भेजें और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

ix. उपरोक्त के उत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने उत्तर दिया है और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक
1	नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड
2	किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल कंपनी लिमिटेड

ग.6 आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

- x. नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी गई थी।

क्र.सं.	भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं के नाम
1	अद्वैत डाई केम
2	अनिल ऑर्गेनिक्स
3	एरीज ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
4	आसाही टेनेट्स कलर प्राइवेट लिमिटेड
5	क्रिस्टल ऑर्गेकोम प्राइवेट लिमिटेड
6	हरक्यूलिस पिगमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
7	ह्यूबाक कलरेंट्स इंडिया लिमिटेड
8	ह्यूबरग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
9	कुशान इम्पेक्स
10	क्वालीकेम प्राइवेट लिमिटेड
11	लब्धि इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
12	मिशिका कंसल्टेंट्स
13	एन एस एक्सपोर्ट्स
14	नीलज्योति केमिकल्स
15	प्रसाद इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
16	राजेश डाई केम
17	सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
18	विबफास्ट पिगमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
19	विजय केमिकल इंडस्ट्रीज
20	विपुल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड

- xi. उपरोक्त के प्रत्युत्तर में, भारत के किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने उत्तर नहीं दिया है या आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है:

ग.7 पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार

- xii. निर्धारित समय सीमा के भीतर खुद को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान कार्यवाही में अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर परिचालित करें।

ग.8 आर्थिक हित प्रश्नावली

- xiii. सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों, और घरेलू उद्योग को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की गई थी। आर्थिक हित प्रश्नावली प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा की गई थी। आर्थिक हित प्रश्नावली घरेलू उद्योग, नानटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड और किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई थी।

ग.9 मौखिक सुनवाई

- xiv. नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 12 जून, 2026 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दें, उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दें, यदि कोई हों।

ग.10. अन्य प्रक्रिया

- xv. विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है या इस जांच से संगत सूचना नहीं दी है, को असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।
- xvi. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर सभी भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की

गई थी और सभी से अनुरोध किया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल करें।

- xvii. नियम 6(8) के अनुसार, जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान समय पर पहुंच से इनकार कर दिया है या अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना गया है, और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए गए हैं।
- xviii. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच ऐसी गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया गया है, और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।
- xix. जांच शुरुआत अधिसूचना के साथ एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी रसायन और उर्वरक मंत्रालय के साथ दिनांक 20 मार्च, 2026 के ईमेल के माध्यम से साझा की गई थी। हालांकि, वर्तमान मामले में लाइन मंत्रालय द्वारा कोई प्रतिक्रिया/टिप्पणियां दर्ज नहीं की गई हैं।
- xx. नियम 8 के अनुसार, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान कार्यवाही के लिए आवश्यक मानी गई सीमा तक किया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- xxi. क्षतिरहित कीमत की गणना घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर भारत में घरेलू समान वस्तु की इष्टतम उत्पादन लागत और उत्पादन तथा बिक्री लागत के आधार पर और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए और नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार की गई है।

- xxii. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और प्रदान की गई सूचना को उस सीमा तक माना गया है जहां तक इसे साक्ष्य के साथ समर्थित किया गया है और वर्तमान जांच के लिए संगत माना गया है।
- xxiii. इन अंतिम जांच परिणामों में '***' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना और नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- xxiv. संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 86.76 रु. है, जो जांच की अवधि के दौरान लागू आयातित सामानों के मूल्य के परिवर्तन के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों का औसत है। इन्हीं अंतिम जांच परिणाम में समान दर लागू की गई है।

(स्रोत: <https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate>)

ग.11 प्रकटन विवरण और प्रकटन-पश्चात टिप्पणियां

- xxv. नियमावली के नियम 16 के अनुसार, प्राधिकारी ने 1 अक्टूबर 2026 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन आवश्यक तथ्यों वाले प्रकटन विवरण जारी किए, और हितबद्ध पक्षकारों को अपनी टिप्पणियां दायर करने के लिए 7 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया गया। घरेलू उद्योग, नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड और किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कं, लिमिटेड से प्रकटन विवरण के बाद टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में संगत मानी गई सीमा तक प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। कोई भी अनुरोध जो केवल पूर्व अनुरोध की पुनरावृत्ति है और जिसकी पहले ही पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी है, उसे संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

घ. विचाराधीन उत्पाद

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

8. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

9. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र मूल जांच के समान ही है।
- ii. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु का उत्पादन कर रहा है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

10. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र मूल जांच में परिभाषित के समान ही बना हुआ है। मूल जांच में परिभाषित और जांच शुरुआत के चरण में विचाराधीन उत्पाद को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है -

“8. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "ऐरोमैटिक के एसिटो एसिटोइल व्युत्पन्न या हेटैरोसायक्लिक मिश्रण" या "एरीलाइड्स" है। निम्नलिखित प्रकार के एराइलाइड वर्तमान जांच के क्षेत्र में शामिल हैं जबकि अन्य सभी रूपों को बाहर रखा गया है: क. एसिटोएसिटानिलाइड या एएए; ख. एसिटोएसिट मेटा-ज़ाइलिडाइड या एएएमएक्स; ग. एसिटोएसिटो-ओ-एनिसाइड या एएओए; घ. एसिटोएसिट-ओ टोलुइडाइड या एएओटी; ड. एसिटोएसिटोक्लोरोएनीलाइड या एएओसीए।”

“9. सुगंधित या हेटैरोसाइक्लिक यौगिकों के विभिन्न प्रकार के एसिटो एसिटोइल व्युत्पन्न हो सकते हैं जो विश्व स्तर पर उत्पादित और बेचे जाते हैं। भारत में उत्पादित अन्य ज्ञात डेरिवेटिव निम्नलिखित हैं, हालांकि, ये विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से परे हैं क्योंकि ये विशिष्ट कस्टम उत्पाद हैं, जो ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कम मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं और ऐसे एराइलाइड्स का कोई ज्ञात आयात नहीं है:

- (i) एएपी ए - एसिटोएसिट-पी-एनिसाइड
- (ii) एएपीसीए - एसिटोएसिट-पी-क्लोरोएनिलामाइड
- (iii) एनए सीएसए - एसिटोएसिट-पी-क्रेसिडाइन-ओ-सल्फोनिक एसिड
- (iv) एएपीसीओए - एसिटोएसिट-पी-क्लोरो-ओ-एनिसाइड
- (v) सीएल-डीईपी - एन, एन ' - (2-क्लोरो-1 , 4-फेनाईलीन) बीआईएस (3-ऑक्सोबुटानियमाइड)
- (vi) एएएसपीपी - पॉट 4 एसिटोएसिटोइलमिनोबेन्ज़सल्फोनेट

(vii) एएपीटी-एसिटो एसिट पी-टोलुइडाइड

निम्नलिखित सुगंधित या हेट्रोसाइक्लिक यौगिकों के अन्य ज्ञात एसिटो एसिटाइल डेरिवेटिव हैं, जिनका कम मात्रा में आयात किया जा रहा है, लेकिन विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये भी कस्टम-निर्मित उत्पाद प्रकार हैं और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं किए जा रहे हैं।

i. 2', 5' - डाइमेथेक्सी-4' -क्लोरो-एसिटोएसिटानिलाइड, नैफथोल एसआईआरजी और

ii. 5-एसिटोएसिटाइल एमिनोबेन्ज़िमोडोलोन, 5-एएबीआई

11. उत्पाद क्षेत्र में शामिल उत्पाद प्रकारों के आधार पर निम्नलिखित पीसीएन बनाया गया है:।
 - i. एसिटोएसिटानिलाइड या एएए;
 - ii. एसिटोएसिट-मेटा-ज़ाइलिडाइड या एएएमएक्स;
 - iii. एसिटोएसिटो-ओ-एनिसाइड या एएओए;
 - iv. एसिटोएसिटो-ओ-टोलुइडाइड या एएओटी;
 - v. एसिटोएसिटोक्लोरोएनीलाइड या एएओसीए।
12. किसी भी आयातक, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया है। इस प्रकार, प्राधिकारी का विचार है कि वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो मूल जांच में है और जांच की शुरुआत के स्तर पर माना गया है।
13. ऐरोमैटिक या हेटरोसायक्लिक यौगिकों या एरीलिड्स के एसिटो एसिटाइल डेरिवेटिव के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख कच्चा माल ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड का उपयोग डिकेटेन (मध्यवर्ती) का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न सुगंधित यौगिकों का उपयोग करके विभिन्न एराइलाइड्स का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। विनिर्माण प्रक्रिया में ऐरोमैटिक ऐमीन्स के डाइकीटीन के साथ ऐजो युग्मन शामिल है। विचाराधीन उत्पाद मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के पीले रंग के रंग बनाने के लिए मध्यवर्ती के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग नारंगी, लाल रंग और कृषि रसायन क्षेत्र में भी किया जाता है।

14. विचाराधीन उत्पाद उप शीर्ष 292429 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है। यह देखा जाता है कि जांच की अवधि के दौरान अन्य कोडों, अर्थात् 2924 29 20, 2924 29 90 और 2924 29 30 के तहत संबद्ध सामानों का आयात किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से संबद्ध जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
15. विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई मीट्रिक टन (एमटी) है, और इस जांच के लिए इसे अपनाया गया है।
16. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा टिप्पणियों के अभाव में, प्राधिकारी उस क्षेत्र की पुष्टि करते हैं जो मूल जांच में परिभाषित किया गया है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "ऐरोमैटिक के एसिटो एसिटोइल व्युत्पन्न या हेटेरोसायक्लिक मिश्रण" या "एरीलाइड्स" है। निम्नलिखित प्रकार के एराइलाइड वर्तमान जांच के क्षेत्र में शामिल हैं जबकि अन्य सभी रूपों को बाहर रखा गया है: क. एसिटोएसिटोनिलाइड या एएए; ख. एसिटोएसिट मेटा-ज़ाइलिडाइड या एएएमएक्स; ग. एसिटोएसिटो-ओ-एनिसाइड या एएओए; घ. एसिटोएसिट-ओ टोलुइडाइड या एएओटी; ड. एसिटोएसिटोक्लोरोएनीलाइड या एएओसीए।"

17. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देश से आयातित सामान, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। तदनुसार, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद नियमावली के नियम 2(घ) के अभिप्राय से विचाराधीन उत्पाद के लिए 'समान वस्तु' है और विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र मूल जांच में परिभाषित के समान रहता है।

ड. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

18. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

ड.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

19. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है।
 - आवेदक ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वह भारत में किसी आयातक या संबद्ध देश से उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध हैं।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

‘(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।’

21. यह आवेदन-पत्र मैसर्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। भारत में संबद्ध सामानों का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और संबद्ध देश में किसी निर्यातक या भारत में आयातक से संबद्ध नहीं है।
22. तदनुसार, प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक नियमावली के नियम 2 (ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है। नियम 5 की आवश्यकता को पूरा करते हुए आवेदन-पत्र दायर किया गया है।

च. विविध मुद्दे और गोपनीयता

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

23. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विविध मुद्दों और गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. आवेदक द्वारा अविश्वसनीय आयात आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।
- ii. आवेदन-पत्र में पाटन और/या क्षति के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं जो जांच की शुरुआत करने को उचित ठहराते हैं।
- iii. नियम के अनुसार पाटनरोधी शुल्क 5 साल बाद समाप्त हो जाना चाहिए और शुल्क का जारी रहना एक अपवाद है।
- iv. पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता केवल तभी अनुमेय है जब पाटन की निरंतरता या पुनरावृत्ति और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की संभावना को दर्शाने वाले पर्याप्त, सकारात्मक और विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद हों।

च.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

24. घरेलू उद्योग ने विभिन्न मुद्दों और गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. आवेदक ने गौण स्रोतों के अनुसार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया था। हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह पता चले कि आवेदकों के आयात आंकड़ें अविश्वसनीय कैसे हैं। हितबद्ध पक्षकार चीन से वास्तविक निर्यात आंकड़ों पर सूचना प्रदान करके प्राधिकारी की सहायता कर सकता था। हालाँकि, पक्षकार ऐसा करने में विफल रहा है।
- ii. जांच शुरुआत अधिसूचना में ही दर्ज है कि प्राधिकारी ने विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र और प्रथम दृष्टया साक्ष्य की जांच के बाद निर्णायक समीक्षा शुरू की है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

25. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर नियम 6(7) और व्यापार सूचना 10/2018 दिनांक 7 सितंबर 2018 के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था।

26. नियमावली के नियम 7 में यह प्रावधान है कि:

“गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप नियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार कार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुरोध किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार कार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार कार को ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना अनुरोध करने वाले पक्षकार कारों से उसका अगोपनीय सारांश अनुरोध करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार कार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार कार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण अनुरोध करेगा कि सार करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

27. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक जांच की गई और तदनुसार हल किया गया। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों ने सूचना पर गोपनीयता का दावा किया है, जैसे उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, स्टॉक, बिक्री कीमत, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय, क्षतिरहित कीमत, उत्पादन लागत संबंधी सूचना, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन, कीमत समायोजन, लाभ संबंधी सूचना, बिक्री चैनल, बिक्री और खरीद दस्तावेज, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम, आदि। यह भी देखा जाता है कि जहां भी क्षति की अवधि के लिए सूचना है, उसे सूचीबद्ध आधार पर प्रदान किया गया है। सामान्य मूल्य, क्षतिरहित कीमत और कीमत कटौती जैसी सूचना रेंज में प्रकट की गई है।
28. हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न सहायक दस्तावेजों और सूचनाओं पर गोपनीयता का दावा किया है, जहां भी ऐसी सूचना उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई

है। उन मामलों में जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने सार्वजनिक रूप से अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों का खुलासा नहीं किया है, उन्हें गोपनीय बताया गया है। जहां भी हितबद्ध पक्षकारों ने किसी दस्तावेज को गोपनीय बताया है, यह नोट किया जाता है कि इन हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि ये दस्तावेज सार के लिए अतिसंवेदनशील नहीं हैं और कारण दिए हैं कि सार क्यों संभव नहीं है।

29. प्राधिकारी ने सूचना की प्रकृति और संबंधित पक्षकार द्वारा प्रस्तुत कारणों को ध्यान में रखते हुए गोपनीयता के प्रत्येक दावे की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय बताया है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है।
30. इस अनुरोध संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा अविश्वसनीय आयात आंकड़ों पर भरोसा किया गया है, यह नोट किया जाता है कि जांच शुरुआत अधिसूचना का स्पष्ट पठन से पता चलता है कि प्राधिकारी ने जांच शुरुआत के उद्देश्य के लिए डीजी सिस्टम से प्राप्त आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो यह संकेत दे कि घरेलू उद्योग ने प्रस्तावित निर्धारण के लिए अपने स्वयं के आयात आंकड़ों के विशेष उपयोग पर जोर दिया था। तदनुसार, इस संबंध में तर्क को प्रमाणित नहीं पाया गया है।
31. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच शुरू करने को उचित ठहराने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं लाया गया है और प्राधिकारी ने तथ्यों की उचित जांच नहीं की है, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने जांच शुरुआत करने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सूचना प्रदान की थी और प्राधिकारी द्वारा यह संतुष्ट होने के बाद जांच शुरू की गई थी कि जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।
32. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि पांच वर्ष के बाद पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति एक नियम है और शुल्क जारी रखना एक अपवाद है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली की धारा 9क(5) और नियम 23 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

नियम 23. समीक्षा। - [(1) अधिनियम की धारा 9क के प्रावधान के तहत लगाया गया कोई भी पाटनरोधी शुल्क, पाटन का प्रतिकार करने के लिए, जो

क्षति पहुंचा रहा है, तब तक और जहां तक आवश्यक है, लागू रहेगा। (1क)
निर्दिष्ट प्राधिकारी, जहां उचित हो, अपनी पहल पर या किसी भी हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध पर, जो ऐसी समीक्षा की आवश्यकता को प्रमाणित करने वाली सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है, किसी भी पाटनरोधी शुल्क का लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे, और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद से उचित समयावधि समाप्त हो जाने पर, निर्दिष्ट प्राधिकारी, उसकी वापसी के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश करेंगे, जहां वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति तब जारी रहने या बार बार होने की संभावना नहीं है, उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क हटाया जाए या उसमें अंतर किया जाए तथा इसीलिए अब उसकी आवश्यकता नहीं है।

33. प्राधिकारी यह पाते हैं कि, पाटनरोधी नियमावली के लागू प्रावधानों के अनुसार, पाटनरोधी शुल्क उस पाटन का मुकाबला करने के लिए उस अवधि तक लागू रहना आवश्यक है, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है। अतः, पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना और जारी रखने का उद्देश्य पाटित आयातों के क्षतिकारक प्रभावों को दूर करना है। नियम 23(1) में यह प्रावधान है कि पाटन के कारण होने वाली क्षति का मुकाबला करने के लिए जब तक और जिस हद तक आवश्यक है, तब तक शुल्क लागू रहेगा। जबकि धारा 9क (5) पांच वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रावधान करती है, यह स्पष्ट रूप से शुल्क जारी रखने को संरक्षित करती है जहां समीक्षा यह सिद्ध करती है कि इस शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार बार होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, यह परिपाटी भारत के लिए विशिष्ट नहीं है, बल्कि वैश्विक रूप से अपनाई जाती है। घरेलू उद्योग ने उन उत्पादों की सूची दी है, जिन पर विभिन्न प्राधिकारियों ने 20 वर्ष तक की अवधि के लिए भी पाटनरोधी उपाय वैश्विक रूप से बढ़ाए हैं।

छ. भारत में आयातों के संबंध में, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

34. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।
- i. घरेलू उद्योग ने गलत दावा किया है कि संबद्ध देश एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है।

- ii. भाग लेने वाले उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य उनके द्वारा रखे गए लागत रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

छ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

35. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- i. चूंकि चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाता है, इसलिए चीनी उत्पादकों को यह सिद्ध करने की आवश्यकता है कि उनका घरेलू उद्योग बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन करता है।
 - ii. वर्तमान जांच में किसी भी चीनी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) प्रश्नावली दायर नहीं की है। इसलिए, प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित करना चाहिए।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

छ.3.1 सामान्य मूल्य

36. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

“i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य

लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

37. प्राधिकारी चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के तहत निम्नलिखित संगत प्रावधान नोट करते हैं:

“7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकल्पित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबंधित देश के विकास के स्तर तथा संबंधित उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकार कारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।”

“8 (1) “गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश” वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में

पण्य वस्तुओं कि बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।”

(2) यह कहना पूर्वानुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू .टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं ; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में ; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है ; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं। तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते हैं।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को

बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जाँच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो।”

38. जांच शुरुआत के चरण में, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानकर कार्यवाही की। जांच की शुरुआत होने पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरुआत की सूचना का उत्तर देने और इस बारे में सूचना प्रदान करने की सलाह दी कि क्या उनके आंकड़ों/सूचना को सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने दिनांक 20 मार्च, 2026 के ईमेल के माध्यम से चीन जन.गण. में सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को इस संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।
39. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमावली के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

40. यह नोट किया जाता है यद्यपि डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 (क) (ii) में निहित प्राधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि, अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधानों में बाजार अर्थव्यवस्था स्तर का दावा

करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड पूरा करने की आवश्यकता होती है।

41. यह नोट किया जाता है कि नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण करने की तीन पद्धतियां निर्धारित हैं, (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर; (ख) तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में निर्यात कीमत; और (ग) किसी अन्य उपयुक्त आधार पर। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के तहत सामान्य मूल्य पहले किसी प्रतिनिधि देश में कीमत या निर्मित मूल्य, या भारत सहित अन्य देशों में ऐसे किसी देश से निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। तथापि, जब यह आधार संभव न हो, तो तभी प्राधिकारी भारत में प्रदत्त या देय कीमत सहित किसी अन्य उपयुक्त आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं।
42. चीन जन.गण. के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया गया है।

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक
1	नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड
2	किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल कंपनी लिमिटेड

43. जांच शुरुआत के चरण में, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश मानने की धारणा के साथ कार्यवाही की। जांच शुरुआत के स्तर पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरुआत करने की सूचना का उत्तर देने और यह सूचना प्रदान करने की सलाह दी कि क्या उनके आंकड़ों/सूचना को सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए चीन जन.गण. में सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।

44. घरेलू उद्योग सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों ने रिकॉर्ड में कोई सूचना नहीं दी है जो बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की अनुमति दे सके, बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतों या लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह भी देखा जाता है कि किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित कोड नहीं है और यह देखते हुए कि उत्पाद में पीसीएन मिश्रण शामिल है, एक बाजार अर्थव्यवस्था देश से निर्यात कीमत को सामान्य मूल्य निकालने के लिए आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस दृष्टि से, भारत में घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ के लिए समायोजित करते हुए, भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

छ.3.2 निर्यात कीमत

क. नंटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड

45. चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादक और निर्यातक नैन्टोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। जांच की अवधि के दौरान, नंटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड ने भारत को सीधे *** एमटी का निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों के निमित्त समायोजन का दावा किया है और सत्यापन के बाद इसे अनुमति दी गई है। तदनुसार, कारखानागत स्तर पर पीसीएन वार निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और कारखानागत स्तर पर सभी पीसीएन को एकत्रित करने के बाद भारत औसत निर्यात कीमत निर्धारित की गई है, और इस प्रकार निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ख. किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल कंपनी लिमिटेड

46. किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कं, लिमिटेड, चीन के कंपनी कानून के तहत निगमित एक सीमित देयता कंपनी है। चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादक और निर्यातक किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल कंपनी लिमिटेड ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। जांच की अवधि में किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल कंपनी लिमिटेड ने भारत में

असंबद्ध खरीदारों को *** यूएसडी बीजक मूल्य के ***एमटी संबद्ध सामानों का सीधे ही निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों के निमित्त समायोजन का दावा किया है और सत्यापन के बाद उनकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, कारखानागत स्तर पर पीसीएन के अनुसार निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और कारखानागत स्तर पर सभी पीसीएन को जोड़ने के बाद भारत औसत निर्यात कीमत निर्धारित की गई है, और इस प्रकार निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ग. असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

47. प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निम्न निर्यात कीमत निर्धारित की है। निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिखाई गई है।

छ.3.3 पाटन मार्जिन

48. विचाराधीन उत्पाद के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

क्र. सं.	विवरण	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन		
		डॉ./एमटी	डॉ./एमटी	डॉ./एमटी	%	रेंज
1	नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10 - 20
2	किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50 - 60
3	अन्य सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	80 - 90

यह देखा जाता है कि चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है।

ज. क्षति का मूल्यांकन और कारणात्मक संपर्क

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

49. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. मांग में वृद्धि के साथ चीन जन.गण. से भारत में आयात बढ़ गया है और क्षति की अवधि के दौरान मांग में कमी के साथ कम हो गया है।
- ii. आवेदक की क्षमता की स्थिति लंबे समय से स्थिर बनी हुई है, जबकि भारत में मांग में वृद्धि हुई है।
- iii. एक स्पष्ट मांग और आपूर्ति अंतर है, जो संबद्ध देश से आयात की आवश्यकता को रेखांकित और मान्य करता है।
- iv. घरेलू उद्योग अपने निर्यात को बढ़ा रहा है और निर्यात बाजार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- v. घरेलू उद्योग का बिक्री निष्पादन मजबूत वृद्धि को दर्शाता है क्योंकि क्षति की अवधि के दौरान घरेलू बिक्री में ***% और निर्यात बिक्री में ***% की वृद्धि हुई है।
- vi. अग्रिम प्राधिकार के तहत आयात की काफी मात्रा की संभावना के आकलन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
- vii. वार्षिक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनी ने "लचीली वृद्धि" हासिल की है, जिसमें मात्रा ***% बढ़ी है और ईबीआईटीडीए ***% बढ़कर ***रु. मिलियन हो गया है, जो कि ***% के पीएटी मार्जिन द्वारा समर्थित है। यह भी नोट किया जाता है कि विशिष्टताओं के क्षेत्र ने ***% राजस्व वृद्धि और ***% मात्रा वृद्धि दर्ज की।
- viii. 22% आरओसीई के समान अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप अनुचित और बढ़ा हुआ लाभ क्षतिरहित कीमत को विकृत करता है, और सेस्टैट ने उस पर प्रश्न उठाया है। इसके बजाय एक उचित आय सामान्य प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में वास्तविक लाभ पर आधारित होनी चाहिए।
- ix. प्रवृत्तियां इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करती हैं कि घरेलू उद्योग व्यावसायिक रूप से ढह रहा है या केवल इसलिए कि वर्तमान शुल्क समाप्त हो रहा है, वास्तविक क्षति की पुनरावृत्ति का सामना करने की संभावना है।
- x. उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली कोई भी वित्तीय चुनौतियां चीन जन.गण. से आयात के कारण प्रतिकूल मात्रा प्रभावों से नहीं बल्कि संबद्ध आयात से असंबंधित कारकों से उत्पन्न होती हैं।
- xi. घरेलू उद्योग की निवल स्थायी परिसंपत्तियां क्षमता में किसी भी वृद्धि के बिना बढ़ गई हैं। यदि निवल स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन

के कारण है, तो इसे क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के उद्देश्य से अनदेखा किया जाना चाहिए।

- xii. मूल शुल्क वास्तविक रूप से एक अलग वास्तविक मैट्रिक्स में लगाया गया था। जबकि घरेलू उद्योग को उस जांच के दौरान काफी क्षति हुई थी जिसके कारण शुल्क लगाया गया था, निष्पादन में अत्यधिक सुधार हुआ है जो शुल्क लगाना आवश्यक नहीं मानता।

ज.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

50. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

- i. यह दावा कि मांग और आपूर्ति अंतर के कारण आयात में वृद्धि हुई, भ्रामक है। जांच की अवधि में मांग आपूर्ति अंतर [***] एमटी है जबकि चीन से आयात की मात्रा [***] एमटी है।
- ii. क्षति की अवधि में संबद्ध सामान की मांग बढ़ गई है।
- iii. क्षति की अवधि में संबद्ध आयात की मात्रा में 18% की वृद्धि हुई है।
- iv. निर्यात उद्देश्यों के लिए अग्रिम लाइसेंस योजना के तहत संबद्ध सामानों की एक काफी मात्रा का आयात किया गया है।
- v. यहां तक कि व्यक्तिगत उत्पाद प्रकार के मामले में भी आयात का घरेलू बाजार पर निराशाजनक प्रभाव पड़ा है।
- vi. जांच की अवधि में उत्पादन की मात्रा में गिरावट आई है।
- vii. जांच की अवधि में क्षमता उपयोग में भी गिरावट आई है।
- viii. शुल्क लागू होने के बावजूद आयात की बाजार हिस्सेदारी काफी बनी हुई है।
- ix. निवेश पर आय ने उसी प्रवृत्ति का पालन किया जो कि लाभ की प्रवृत्ति है और ***% तक गिरावट आई।
- x. घरेलू उद्योग 2024-2025 तक लाभ कमा रहा था, हालांकि, जांच की अवधि में इसे नकद हानियां हुई हैं।
- xi. मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की मालसूची का स्तर बढ़ गया है।
- xii. जांच की अवधि में पाटन से, संबद्ध आयातों ने क्षति की अवधि में लाभ, नकद प्रवाह और निवेश पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि प्रभावित की है।
- xiii. पाटनरोधी शुल्क लगाने से आवेदक घरेलू बाजार में बना रह सकता है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से पूर्व, पाटन का प्रतिकूल प्रभाव आवेदक की मात्रा और कीमत मानदंडों, दोनों पर महसूस किया गया था।

- xiv. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सेदारी, नकद लाभ, कर पूर्व लाभ और कर तथा निवेश पर आय, मालसूची और वृद्धि सहित आवेदक के आर्थिक मापदंडों ने क्षति की अवधि में पर्याप्त सुधार दर्शाया है।
- xv. प्राधिकारी ने लगातार यह माना है कि शुल्क छूट योजनाओं के तहत आयात को पाटन और क्षति विश्लेषण के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
- xvi. अग्रिम प्राधिकार के तहत आयात को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के आयात घरेलू उद्योग को अपनी आपूर्ति बढ़ाने के लिए उपलब्ध अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जिससे घरेलू उद्योग को उपलब्ध प्रभावी मांग कम हो जाती है।
- xvii. घरेलू प्रचालनों के लिए नियोजित पूंजी में उतार-चढ़ाव निर्यात बिक्री में गिरावट और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वृद्धि के कारण है, न कि आवेदक द्वारा किए गए किसी भी असमान पुनर्मूल्यांकन के कारण।
- xviii. जब प्रति यूनिट आधार पर देखा जाता है, तो यह देखा जाएगा कि निवल अचल परिसंपत्तियां केवल रु. [***] प्रति एमटी बढ़ गई हैं। यह वृद्धि इसलिए भी है क्योंकि संयंत्र में कुछ पूंजीगत व्यय किए जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र की क्षमता में कोई बदलाव नहीं हो सकता है लेकिन लागत में वृद्धि होगी।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

51. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की गई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में हास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रुकी है, जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

52. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क पर किए गए विभिन्न अनुरोधों की रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों पर विचार करते हुए जांच और विश्लेषण किया गया है। प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण यथा-तथ्यतः घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को हल करता है।
53. इस अनुरोध के संबंध में कि मांग में वृद्धि के साथ चीन जन.गण. से भारत में आयात में वृद्धि हुई है और क्षति की अवधि के दौरान मांग में कमी के साथ कम हो गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति में अंतर है, लेकिन यह पाटन को उचित नहीं ठहराता है। प्राधिकारी यह मत है कि निर्यातक उचित कीमत पर उत्पाद का निर्यात करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन पाटित कीमत पर नहीं।
54. इस अनुरोध के संबंध में कि अग्रिम प्राधिकार के तहत काफी मात्रा में आयात को संभावना के आकलन के लिए नहीं माना जा सकता है, यह देखा जाता है कि पाटन और क्षति विश्लेषण के लिए शुल्क छूट योजनाओं के तहत आयात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी का मत है कि आयात घरेलू उद्योग को अपनी आपूर्ति बढ़ाने के लिए उपलब्ध अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे घरेलू उद्योग के लिए उपलब्ध प्रभावी मांग कम हो जाती है। तदनुसार, अग्रिम प्राधिकार के तहत आयात की एक काफी मात्रा की मौजूदगी संभावना विश्लेषण के लिए अत्यधिक संगत है।
55. पाटन के लिए अग्रिम लाइसेंस के तहत आयातों को अलग रखने और क्षति निर्धारण के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि इन आयातों को पाटन और क्षति का पता लगाने के उद्देश्य से ध्यान में रखा गया है क्योंकि यह पाटित आयात इन निर्यातकों को अपनी आपूर्ति बढ़ाने के लिए उपलब्ध घरेलू उद्योग के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और उस हद तक, संबद्ध सामानों की मांग कम हो जाती है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के प्रयोजन के लिए शुल्क छूट के तहत आयात को शामिल करना प्राधिकारी की सतत परिपाटी है।
56. मूल जांच की तुलना में निष्पादन में सुधार पर हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध करने के संबंध में, प्राधिकारी का मानना है कि उद्योग के निष्पादन में सुधार लागू पाटनरोधी शुल्क का परिणाम है। मूल जांच की आवश्यकता समीक्षा जांच से अलग है। निर्णायक समीक्षा जांच में आवश्यकता यह सिद्ध करने की है कि शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग में पाटन और क्षति जारी रहने की संभावना है। क्षति के निर्धारण के संबंध में, यदि पाटनरोधी शुल्क का वांछित प्रभाव पड़ा है, तो घरेलू उद्योग की स्थिति में पाटनरोधी

शुल्क प्रभावी अवधि के दौरान सुधार होने की उम्मीद की जाएगी। प्राधिकारी कलयाणी स्टील लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2006 (203) ईएलटी 418 (त्रि - दिल्ली) के मामले में सेस्टैट के निर्णय का संदर्भ लेते जो नीचे दिया गया है।

“15.1 कोई एक या अधिक कारक घरेलू उद्योग को पर्याप्त रूप से क्षति पहुंचा सकते हैं। कीमत पर पाटित आयातों के प्रतिकूल प्रभाव से दर्शाई गई निर्णायक क्षति आर्थिक कारकों और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण घरेलू उद्योग की स्थिति पर तत्वों के कुछ आंशिक सुधारों को गिनकर अलग नहीं किया जाएगा।”

57. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए वस्तुनिष्ठ रूप से क्षति के मापदंडों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को हल किया गया है।

ज.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/खपत का आकलन

58. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में निर्धारित किया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2022-23	2023-24	2024-25	जांच की अवधि
1	संबद्ध देश से आयात	एमटी	3,546	3,610	4,605	4,358
2	अन्य देशों से आयात	एमटी	742	200	120	120
3	घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	129	145	143
4	कुल मांग		***	***	***	***

	प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	112	136	123
--	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----

59. आंकड़े बताते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की मांग क्षति की अवधि में बढ़ी है, लेकिन जांच की अवधि में थोड़ी कम हो गई है। क्षति की अवधि में, उत्पाद की मांग में ***% वृद्धि हुई है।

ख. निरपेक्ष और सापेक्षिक रूप से आयात

60 पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों में या तो पूर्ण रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के लिए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। सूचना निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2022-23	2023-24	2024-25	जांच की अवधि
1	संबद्ध देश से आयात	एमटी	3,546	3,610	4,605	4,358
2	अन्य देशों से आयात	एमटी	742	200	120	120
3	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
क	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	81	88	88
ख.	भारतीय खपत	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	102	99
ग	कुल आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	118	118

61. यह नोट किया जाता है कि:

- i. संबद्ध आयात 2022-23 से 2024-25 तक बढ़े हैं, लेकिन जांच की अवधि में गिरावट आई। क्षति की अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा में 18% की वृद्धि हुई है।
- ii. भारतीय उत्पादन के संबंध में, संबद्ध देश से आयात क्षति की अवधि के दौरान काफी रहे हैं। इस तरह के आयात आधार वर्ष में भारतीय उत्पादन का ***% और जांच की अवधि के दौरान ***% रहा।
- iii. संबद्ध देश से आयात, भारतीय खपत के संबंध में, आधार वर्ष में ***% और जांच की अवधि के दौरान ***% था। जबकि बीच के वर्षों के दौरान अनुपात में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया, यह क्षति की अवधि के दौरान काफी स्तर पर बने रहे।
- iv. अन्य देशों से आयात आधार वर्ष में 742 एमटी से घटकर जांच की अवधि के दौरान 120 एमटी हो गये, जिससे पता चलता है कि गैर-संबद्ध देशों से आयात पूरी क्षति की अवधि में नगण्य रहे।
- v. शुल्क लागू होने और घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, आयात निरपेक्ष और सापेक्षिक रूप से स्थिर रहा है।

ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

62. नियमावली के अनुबंध II(ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को काफी मात्रा तक कम करना है या कीमत वृद्धि रोकना है, जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती।

क. कीमत कटौती

63. जांच की अवधि के लिए आयात की पहुंच कीमत के साथ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना करके प्रत्येक प्रकार के संबद्ध एराइलाइड्स के लिए कीमत कटौती निर्धारित की गई है। नीचे दी गई तालिका संबद्ध देश से कीमत कटौती को दर्शाती है।

क्र.सं.	उत्पाद	आयात मात्रा	निवल बिक्री प्राप्ति	आयातों का पहुंच मूल्य	कीमत कटौती		रेंज
		एमटी	रु./एमटी	रु./एमटी	रु./एमटी	%	

1	एएए	1,819	***	***	***	***	10-20
2	एएएमएक्स	862	***	***	***	***	20-30
3	एएओए	688	***	***	***	***	10-20
4	एएओसीए	176	***	***	***	***	20-30
5	एएओटी	814	***	***	***	***	20-30
6	कुल	4,358		***	***	***	20-30

64. यह देखा जाता है कि सभी ग्रेडों के लिए आयात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम है, जो दर्शाता है कि आयातित सामान घरेलू उद्योग की कीमतों को कम करते हैं। कीमत में कटौती का मार्जिन काफी माना जाता है।

ख. कीमत हास और न्यूनीकरण

65. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों का काफी हद तक हास करना है या कीमतों में वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य क्रम में हुई होती, क्षति की अवधि में लागत और कीमतों में परिवर्तन की तुलना निम्नानुसार की गई थी:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2022-23	2023-24	2024-25	जांच की अवधि
1	बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	87	85
2	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	82	77
3	पहुंच मूल्य	रु./एमटी	229,543	195,543	186,172	180,638
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	81	79

66. आंकड़े विचाराधीन अवधि के दौरान कीमत हास और कीमत न्यूनीकरण, दोनों को दर्शाते हैं। बिक्री कीमत 2022-23 में ***रु./एमटी से घटकर जांच की अवधि में ***रु./एमटी हो गई, जो लगभग की***% की गिरावट दर्शाती है (सूचकांक 100 से 77) इसी अवधि में बिक्री लागत में लगभग ***% (सूचकांक 100 से 85) तक गिरावट आई, जबकि पहुंच

मूल्य में लगभग ***% (सूचकांक 100 से 79) तक गिरावट आई। तदनुसार, बिक्री कीमत, बिक्री लागत की तुलना में तेजी से गिरावट आई, जो कीमत न्यूनीकरण दर्शाती है, जबकि इसी अवधि में बिक्री कीमत में काफी गिरावट कीमत हास दर्शाती है।

ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

67. नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है। प्राधिकारी ने विभिन्न तथ्यों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए, क्षति के मापदंडों की निष्पक्ष रूप से जांच की है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियां

68. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री पर विचार किया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2022-23	2023-24	2024-25	जांच की अवधि
1	क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
2	कुल उत्पादन (पीयूसी+एनपीयूसी)	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	147	139
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	147	139

4	विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	148	140
5	घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	145	143

69. यह देखा जाता है कि:

- घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रही है।
- घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में 2022-23 से 2024-25 तक सुधार हुआ है, लेकिन जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है। क्षति की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है।
- विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन 2024-25 तक बढ़ गया है, लेकिन जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- घरेलू बिक्री 2022-23 से 2024-25 तक बढ़ी है, लेकिन जांच की अवधि के दौरान इसमें मामूली गिरावट आई है।
- पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को अपना उत्पादन और घरेलू बिक्री बढ़ाने में मदद मिली है।
- हालांकि घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि के दौरान लगातार अपनी संस्थापित क्षमता को बनाए रखा है, जांच की अवधि के दौरान उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में गिरावट से संकेत मिलता है कि घरेलू बाजार में पर्याप्त मांग के बावजूद यह अपनी संस्थापित क्षमता का इष्टतम स्तर तक उपयोग करने में सक्षम नहीं रहा है।

ख. सभी आपूर्तिकर्ताओं की बाजार हिस्सेदारी

70. प्राधिकारी ने संबद्ध देश और अन्य देशों के रूप में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2022-23	2023-24	2024-25	जांच की अवधि
---------	-------	-------	---------	---------	---------	--------------

1	संबद्ध देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	108	96
2	अन्य देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	27	11	15
3	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	106	117

71. यह देखा जाता है कि:

- घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 2023-24 में बढ़ी, 2024-25 में घटी लेकिन जांच की अवधि में फिर से बढ़ गई।
- संबद्ध देश से आयात की बाजार हिस्सेदारी 2023-24 में घट गई, 2024-25 में बढ़ गई लेकिन जांच की अवधि में फिर से घट गई।
- शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध आयात की बाजार हिस्सेदारी काफी है।

ग. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

72. घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच लाभप्रदता, लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर आय के संबंध में की गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2022-23	2023-24	2024-25	जांच की अवधि
1	लाभ/हानि	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-45	-11	-77
2	लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-58	-16	-110
3	पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-19	-2	-78
4	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***

	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	5	48	-33
5	निवेश पर आय	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-18	-2	-79

73. यह देखा जाता है कि:

- घरेलू उद्योग 2022-23 में लाभ कमा रहा था लेकिन संबद्ध आयात की कीमतों में गिरावट के कारण, घरेलू उद्योग का लाभ काफी घट गया और उसके बाद हानियां हुईं। लाभ 2023-24 में नकारात्मक हो गया जिसमें 2024-25 में हानियां घट गईं, परंतु जांच की अवधि में उसके बाद बढ़ गईं।
- इसी तरह की प्रवृत्ति कर पूर्व लाभ में देखी गई है। नकद लाभ और पीबीटी दोनों में गिरावट आई है और जांच की अवधि में नकद घाटा और निवेश पर नकारात्मक आय में बदल गई है।
- 2022-23 में निवेश पर आय सकारात्मक थी, 2023-24 में नकारात्मक हो गई, 2024-25 में मामूली रूप से सुधार हुआ और जांच की अवधि में और गिरावट आई।

घ. मालसूची

74. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2022-23	2023-24	2024-25	जांच की अवधि
1	प्रारंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	98	151
2	अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	106	118
3	औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***

	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	102	133
--	-----------	----------	-----	----	-----	-----

75. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में औसत मालसूची में काफी वृद्धि हुई है। जांच की अवधि में मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की मालसूची का स्तर बढ़ गया है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

76. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2022-23	2023-24	2024-25	जांच की अवधि
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	98	97
2	वेतन और मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	133	112	113
3	प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	148	140
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/कर्मचारी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	151	145

77. यह देखा जाता है कि कर्मचारियों की संख्या 2023-24 में बढ़ गई है और उसके बाद 2024-25 में घट गई है, और जांच की अवधि में इसमें और गिरावट आई है। 2023-24 में प्रदत्त वेतन और मजदूरी भी बढ़ गई और उसके बाद इसमें गिरावट आई।
78. प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में 2024-25 तक वृद्धि हुई लेकिन जांच की अवधि में गिरावट आई।

च. वृद्धि

79. क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री मात्रा, पीबीटी, पीबीआईटी, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2023-24	2024-25	जांच की अवधि
1	उत्पादन (पीयूसी)	वाई/वाई	25%	18%	-5%
2	घरेलू बिक्री	वाई/वाई	29%	12%	-1%
3	कर पूर्व लाभ – कर-पूर्व लाभ – लाख रु.	वाई/वाई	-158%	73%	-599%
5	कर पूर्व ब्याज – लाख रु.	वाई/वाई	-119%	88%	-3211%
6	नकद लाभ – लाख रु.	वाई/वाई	-95%	921%	-169%
7	नियोजित पूंजी पर आय	वाई/वाई	-118%	89%	-3903%

80. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2023-24 में मात्रा मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, लेकिन कीमत मापदंडों में गिरावट आई। 2024-25 में मात्रा और मूल्य मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। हालांकि यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में मात्रा और मूल्य दोनों मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।

छ. पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता

81. यह नोट किया जाता है कि देश में मांग और आपूर्ति का अंतर है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई है और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग घाटे के साथ काम कर रहा था। इसलिए,

पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, जिससे घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का विस्तार करने से रोक रहा है।

ज. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

82. डीजी सिस्टम आयात आंकड़ों की जांच से यह पता चलता है कि संबद्ध देश से आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो बिक्री की लागत से नीचे गिर गई। इसका घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग को हानियां हुई हैं और उसने जांच की अवधि के दौरान निवेश पर नकारात्मक आय दर्ज की, स्पष्ट रूप से निरंतर पाटित आयातों का प्रतिकूल प्रभाव दर्शाता है।

झ. पाटन की मात्रा

83. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से भारत में संबद्ध सामानों का पाटन जारी है।

झ. क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

84. क्षति की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की कोई संभावना नहीं है।
 - भारत को निर्यात की एक छोटी सी हिस्सेदारी है, प्रमुख बिक्री घरेलू बाजार में है।
 - इस सुझाव के साथ असंगत कि नैनटोंग के पास अतिरिक्त क्षमता है या भारत को निर्यात को पुनर्निर्देशित किया गया है।
 - घरेलू उद्योग द्वारा आगे बढ़ाया गया संभावना विश्लेषण मुख्य रूप से चीनी क्षमताओं, मालसूची और भविष्य के निर्यात व्यवहार के बारे में मान्यताओं पर आधारित है।
 - किसी तीसरे देश के बाजारों में क्षमता या निर्यात की मौजूदगी से नुकसान की संभावना सिद्ध नहीं की जा सकती है।

- vi. प्राधिकारी को यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या यह दर्शाने का सकारात्मक साक्ष्य है कि शुल्क की समाप्ति से पाटित आयातों में वृद्धि होने की संभावना है, जो घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचाएंगे। ऐसा कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है।

झ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

85. घरेलू उद्योग ने क्षति की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद पाटन जारी रहा है, जो स्वयं उपायों की समाप्ति की स्थिति में पाटन की संभावना को सिद्ध करता है।
- ii. किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी के निर्यात जांच की अवधि में तीसरे देशों को निर्यात कम हुए हैं। हालांकि, भारत को निर्यात में काफी वृद्धि हुई है।
- iii. किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड की कीमत घरेलू बाजार के लिए भी गिर गई है, भारत को निर्यात कीमत घरेलू बिक्री कीमत की तुलना में अधिक दर से गिर गई है।
- iv. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात भारत में काफी मात्रा में प्रवेश करना जारी रहा है। 2021 में पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद भी, आयात की मात्रा काफी रही है और मांग का 40% है।
- v. संबद्ध आयात में आधार वर्ष से जांच की अवधि तक समग्र वृद्धि दर्ज की गई। यह तथ्य कि जब शुल्क लागू थे तब आयात में वृद्धि हुई, उपायों की समाप्ति की स्थिति में आगे वृद्धि की संभावना सिद्ध करता है।
- vi. मूल जांच में, प्राधिकारी ने सभी पीसीएन में 0-20% की सीमा में सकारात्मक कीमत कटौती पाई। कीमत में कटौती काफी बढ़ गई है और अब यह पीसीएन में 10-30% तक है।
- vii. यदि पाटनरोधी उपाय विफल हो जाते हैं तो यह कीमत हास जारी रहने या तेज होने की संभावना है, जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होगी।
- viii. भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदी है, जिसमें उपभोक्ता मुख्य रूप से कीमत के आधार पर खरीद निर्णय लेते हैं। आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमतों पर आते हैं और यदि शुल्क जारी नहीं रखा जाता है, तो घरेलू उद्योग को

या तो अपनी बिक्री कीमत कम करनी होगी और यहां तक कि अधिक हानियां उठानी होंगी या बिक्री की मात्रा और परिणामस्वरूप बाजार हिस्सेदारी खोनी होगी।

- ix. चीन में क्षमता उन देशों में मांग से अधिक है। 267.8 केटी की वर्तमान क्षमता के मुकाबले चीन में मांग केवल 136.6 केटी है। यह तथ्य कि क्षमता इतनी अधिक है, सिद्ध करता है कि शुल्कों की समाप्ति से, उत्पादक भारतीय बाजार में बाढ़ ला देंगे।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

86. प्राधिकारी ने, धारा 9क (5), नियम 23 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से मापदंडों में निर्धारित अपेक्षा पर विचार करते हुए और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए अन्य संगत कारकों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना की जांच की है।
87. वर्तमान जांच चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लगाए गए शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के तहत, प्राधिकारी को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या मौजूदा शुल्क की समाप्ति पाटन के जारी रहने या बार बार होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
88. इस तरह का संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) में, अन्य बातों के साथ-साथ, उन कारकों का प्रावधान है जिन पर विचार किया जा सकता है, अर्थात्
 - क. भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की काफी दर आयात में काफी वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।
 - ख. किसी भी अतिरिक्त निर्यात को लेने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, निर्यातकों की क्षमता में पर्याप्त रूप से स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य, या आसन्न, पर्याप्त वृद्धि जो भारतीय बाजारों में पर्याप्त रूप से पाटित निर्यातों की संभावना को दर्शाती है।

ग. क्या आयात ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी न्यूनीकरण या ह्रासमान प्रभाव पड़ेगा और जिससे आगे के आयात की मांग बढ़ने की संभावना है; और

घ. वस्तु की मालसूची की जांच की जा रही है।

89. प्राधिकारी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, उपरोक्त आवश्यकताओं पर विचार किया है और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति, पाटन की संभावना है, और यदि हां, तो क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की स्थिति में घरेलू उद्योग को उससे क्षति होने की संभावना है।

क. निरंतर पाटन

90. नीचे दी गई तालिका चीन से आयात के मामले में मूल जांच और वर्तमान जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन को दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	मूल जांच	वर्तमान जांच
1	नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	%	20-30%	10-20%
2	किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	%	30-40%	50-60%
3	अन्य सभी	%	40-50%	80-90%

91. तालिका से पता चलता है कि चीन से पाटन जारी है। वर्तमान अवधि में पाटन की निरंतरता उपायों की समाप्ति की घटना में पाटन की संभावना को दर्शाती है।

ख. भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की दर

92. डीजीसीआईएंडएस लेनदेन वार आयात आंकड़ों की सूचना नीचे दी गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2022-23	2023-24	2024-25	जांच की अवधि
1	चीन जन.गण. से आयात	एमटी	3,546	3,610	4,605	4,358

2	निम्नलिखित के संबंध में आयात					
क	उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	88	88
ख.	खपत	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	102	99

93. उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि उत्पादन और खपत के संबंध में आयात की मात्रा पहले घटी, फिर बढ़ी और फिर और भी कम हो गई। हालांकि, यह देखा जाता है कि आयात लगातार काफी बने हुए हैं।

ग. संबद्ध देश में उत्पादकों के पास उपलब्ध स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य क्षमता

94. स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य क्षमता की सूचना प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा दायर प्रतिक्रिया के आधार पर गणना की गई है और नीचे दिखाई गई है।

क्र. सं.	विवरण	क्षमता (विचाराधीन उत्पाद)	उत्पादन (विचाराधीन उत्पाद)	निष्क्रिय क्षमता	रेंज
1	नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	
2	किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	
3	कुल	***	***	***	
4	भारत में मांग			***	
5	भारत में मांग के प्रतिशत के रूप में बेकार क्षमता			***	130-140

स्रोत: चीन जन.गण. से दो प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा दायर ईक्यूआर का परिशिष्ट-1

95. चीन जन.गण. से प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से पता चलता है कि जांच की अवधि के दौरान *** एमटी के उत्पादन की तुलना में *** एमटी की संयुक्त क्षमता

है। जिसके परिणामस्वरूप, ***एमटी की बेकार क्षमता है। प्रतिभागी उत्पादकों की निष्क्रिय क्षमता भारतीय मांग *** एमटी के लगभग ***% के बराबर है। यह पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता भारत को निर्यात बढ़ाने के लिए उत्तरदाता उत्पादकों के पास काफी क्षमता दर्शाती है और इसीलिए बढ़े हुए आयातों और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की संभावना का मूल्यांकन करने में एक संगत कारक है।

घ. संबद्ध देश में उत्पादकों की निर्यातोन्मुखता

96. उत्पादन और कुल निर्यात की सूचना नीचे दी गई है। यह सूचना प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा दायर प्रत्युत्तर से परिकलित की गई है।

क्र. सं.	विवरण	क्षमता (विचाराधीन उत्पाद)	उत्पादन (विचाराधीन उत्पाद)	निष्क्रिय क्षमता	रेंज %
1	नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	30-40
2	किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	10-20
3	कुल	***	***	***	20-30

स्रोत: चीन जन.गण. से दो प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा दायर ईक्यूआर का परिशिष्ट-1

97. चीन जन.गण. से प्रतिभागी उत्पादकों ने *** एमटी का निर्यात किया, जो उनके *** एमटी के कुल उत्पादन का लगभग ***% है, जो यह दर्शाता है कि उनका उत्पादन पूर्व प्रभावी रूप से घरेलू बाजार की ओर उन्मुख है। तथापि, उनकी काफी अप्रयुक्त क्षमता को देखते हुए, मौजूदा निर्यातोन्मुखता को अलग से नहीं देखा जा सकता है। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, उत्पादकों के पास अपनी उपलब्ध क्षमता के एक हिस्से को भारतीय बाजार की ओर पुनर्निर्देशित करने की क्षमता हो सकती है, जिससे भारत को निर्यात की क्षमता बढ़ सकती है और घरेलू उद्योग पर दबाव पड़ सकता है। इस कारक को पहले से ही रिपोर्ट की गई पर्याप्त निष्क्रिय क्षमता के साथ

पढ़ा जाता है, इसलिए चीन जन.गण. से आयात में वृद्धि की संभावना के आकलन के लिए संगत है।

ड. तीसरे देश को क्षतिकारक निर्यात

98. नीचे दी गई तालिका में उत्तरदाता उत्पादकों द्वारा तीसरे देशों को किए गए निर्यात और क्षतिकारक कीमतों पर निर्यात की मात्रा (क्षतिरहित कीमत से नीचे निर्यात) को दर्शाया गया है।

संबद्ध देश	कुल निर्यात (एमटी)	उचित बिक्री कीमत से कम निर्यात (एनआईपी) (एमटी)	क्षतिकारक निर्यातों का हिस्सा (%)	रेंज
नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	90-100
किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	80-90
कुल	***	***	***	90-100

99. उपरोक्त तालिका से देखा जाता है कि:

- नांटोंग एसिटिक एसिड केमिकल्स कंपनी लिमिटेड के मामले में, निर्यात का ***% क्षतिरहित कीमतों से कम है।
- चिंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड के मामले में, निर्यात का ***% क्षतिरहित कीमतों से कम है।

च. क्षति के जारी रहने/बार बार होने की संभावना संबंधी निष्कर्ष

100. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

- संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाटन की कीमतों पर घरेलू बाजार में आना जारी रहे हैं।

- ख. संबद्ध देश के मूल के आयात भारतीय घरेलू बाजार में काफी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखते हैं, और वर्तमान में लागू पाटनरोधी उपायों की समाप्ति या वापसी की स्थिति में, ऐसे आयात घरेलू बाजार में प्रचलित कीमत स्तरों पर एक ह्रासमान प्रभाव डालने की संभावना है।
- ग. संबद्ध देश के दो प्रतिभागी निर्यातकों द्वारा रिकॉर्ड में रखी गई सूचना और आंकड़े ये दर्शाते हैं कि प्रतिभागी उत्पादकों ने जांच की अवधि के दौरान अपने उत्पादन का काफी हिस्सा निर्यात किया, और भारत ऐसे निर्यात का प्रमुख गंतव्य था, जो उनके कुल निर्यात का लगभग ***% था।
- घ. दो प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा रिकॉर्ड में रखी गई सूचना से यह भी सिद्ध होता है कि उक्त उत्पादक काफी निष्क्रिय या कम उपयोग की गई उत्पादन क्षमताओं के साथ काम कर रहे हैं, और वर्तमान में लागू पाटनरोधी उपायों की समाप्ति की स्थिति में निर्यात मात्रा में वृद्धि की उचित संभावना है।
- ड. दो प्रतिभागी उत्पादकों के संचयी आधार पर तीसरे देशों को निर्यात का ***% क्षतिरहित कीमत से कम कीमत पर है।
- च. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी का सुविचारित मत है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में, पाटित आयातों के जारी रहने या बार बार होने का घरेलू उद्योग के निष्पादन, विश्वसनीयता और समग्र आर्थिक स्थिति पर वास्तविक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
101. प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि जांच से पता चला है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

ज. कारणात्मक संपर्क और गैर-आरोपण विश्लेषण

102. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों को छोड़कर किसी भी ज्ञात कारकों की जांच करने की आवश्यकता है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या क्षति पहुंचाने की संभावना है, ताकि इन अन्य कारकों के कारण होने वाली क्षति को पाटित आयातों के कारण न माना जाए। जबकि वर्तमान जांच एक

निर्णायक समीक्षा जांच है और मूल जांच में पहले से ही कारणात्मक संपर्क की जांच की गई है, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है या क्षति पहुंचाने की संभावना है। यह जांच की गई कि क्या नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों ने योगदान दिया होगा या घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान करने की संभावना है।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

103. अन्य देशों से आयात से कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि वे अधिक कीमतों पर और न्यूनतम स्तर से अधिक हैं।

ख. मांग में संकुचन

104. इस अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई है और इसकी वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है। इसलिए, मांग में संभावित संकुचन के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति होने की संभावना नहीं है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

105. कोई भी व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो या क्षति होने की संभावना हो।

घ. प्रौद्योगिकी में विकास

106. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि उत्पाद के उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए, प्रौद्योगिकी घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का कारण नहीं हो सकती।

ड. निर्यात निष्पादन

107. घरेलू उद्योग काफी हद तक घरेलू बाजार में है। किसी भी मामले में, निर्यात निष्पादन को अलग कर दिया गया है।

च. कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

108. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का संभावित कारण नहीं है।

ट. क्षति मार्जिन की मात्रा

109. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा दी गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए क्षति की अवधि में कच्ची सामग्री और यूटिलिटियों के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन लागत से असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्यय अलग किए गए हैं। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर-पूर्व 22% की दर से) पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।
110. उपर्युक्त निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत की तुलना विचाराधीन उत्पाद के लिए की गई है। उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन का भारित औसत नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	एनआईपी (डॉ./एमटी)	पहुंच कीमत (डॉ./एमटी)	क्षति मार्जिन		
				(डॉ./एमटी)	%	रेंज
1	नैनटॉग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0 - 10

2	किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
3	अन्य सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	80-90

ठ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

111. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- पाटनरोधी शुल्क का जारी रहना जनहित में नहीं होगा।
- संबद्ध आयात पहले से ही 7.5% के पाटनरोधी शुल्क और बुनियादी सीमा शुल्क के अधीन हैं।
- शुल्कों को जारी रखने या बढ़ाने से निचले स्तर के उद्योगों और उपभोक्ताओं के लिए इनपुट लागत बढ़ जाएगी।

ठ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

112. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- आवेदक वर्तमान में दाहेज में एक नए संयंत्र में निवेश कर रहा है।
- विचाराधीन उत्पाद पर शुल्क की निरंतरता घरेलू विनिर्माताओं और उपभोक्ताओं के हित में होगी।
- संबद्ध सामानों का कोई प्रत्यक्ष अंतिम उपयोग अनुप्रयोग नहीं है और उपयोग किए जाने के लिए आगे की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए।
- निचले स्तर के उद्योगों और अंतिम उपभोक्ताओं पर शुल्क का प्रभाव नगण्य है।
- वर्तमान जांच में किसी भी प्रयोक्ताओं ने भाग नहीं लिया है। यह पाटनरोधी उपायों के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का न होना सिद्ध करता है।

ठ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

113. प्राधिकारी ने विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश जारी रखना जनहित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के रिकॉर्ड और हितों की सूचना पर विचार के आधार पर किया जाता है।
114. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिसमें आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार शामिल हैं, से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है ताकि वे वर्तमान समीक्षा जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान कर सकें, जिसमें उनके प्रचालन पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव भी शामिल है। प्राधिकारी अन्य बातों के साथ साथ विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता, स्रोतों को बदलने की क्षमता की खपत पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता के कारण नई स्थिति में समायोजन में तेजी लाने या देरी करने की संभावना वाले कारकों पर सूचना मांगी।
115. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य, सामान्य तौर पर, पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुले और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से विचाराधीन उत्पाद के साथ-साथ भारत में संबद्ध सामानों का उपयोग करके निर्मित अन्य निचले स्तर के उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों के लागू होने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों के लागू होने से कम कीमत वाले आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के निष्पादन मापदंडों में गिरावट को रोका जा सकेगा और विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
116. किसी भी प्रयोक्ता ने निर्धारित आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं। पाटनरोधी शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाने वाले किसी भी मात्रात्मक साक्ष्य की अनुपस्थिति में, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से निचले स्तर के उद्योगों को असमान नुकसान होगा। तदनुसार, प्राधिकारी ने प्रभाव का

आकलन करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों सहित रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर भरोसा किया है।

117. घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को निम्नानुसार निर्धारित किया है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	कोटिंग्स	प्लास्टिक	स्याही
1	एरिलाइड्स पर सबसे कम शुल्क	%	24.79	24.79	24.79
2	पिगमेंट की कुल लागत में एलाइड्स के कारण लागत का हिस्सा	%	10	10	10
3	पिगमेंट लागत में वृद्धि	%	2.48	2.48	2.48
4	पिगमेंट प्राइस	रु/किग्रा	550	550	550
5	वर्णक लागत में वृद्धि	रु/किग्रा	13.63	13.63	13.63
6	डाउनस्ट्रीम उत्पाद का अनुमानित मूल्य	रु/किग्रा	220	300	250
7	डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कुल लागत में वर्णक के कारण लागत का हिस्सा	%	7	18	13
8	अनुप्रवाह उत्पाद में पिगमेंट की लागत	रु/किग्रा	15.4	54	32.5
9	अनुप्रवाह उत्पाद में खपत वर्णक की लागत में वृद्धि	रु/किग्रा	0.38	1.34	0.81
10	पिगमेंट के डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रभाव	%	0.17	0.45	0.32

118. पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य पाया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में संबद्ध सामानों की कमी नहीं होगी। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। इसलिए, शुल्क लगाने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। किसी भी स्थिति में, भारतीय उद्योग की क्षमता संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश में पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे।

ड. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

119. प्राधिकारी के विचाराधीन आवश्यक तथ्यों वाला प्रकटन विवरण सभी हितबद्ध पक्षकारों को 1 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था। प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां घरेलू उद्योग, नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड, (जिसे इसके बाद "नानटोंग" कहा गया है) और किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कं, लिमिटेड (जिसे इसके बाद "किंगदाओ हैवान" कहा गया है) से प्राप्त हुई हैं। टिप्पणियों को संक्षेप में नीचे जांचा गया है।

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

120. किंगदाओ हैवान ने प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. प्रकटन विवरण में क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों में पर्याप्त सुधार दर्ज किया गया है। उत्पादन में वृद्धि ***%, विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन ***%, घरेलू बिक्री ***%, क्षमता उपयोग ***% और प्रति कर्मचारी उत्पादकता ***% के साथ-साथ बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। इस तरह के सुधार का मतलब यह नहीं है कि शुल्क स्वचालित रूप से जारी रहने चाहिए। इसके अलावा, जांच की अवधि में दौरान लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय में गिरावट को अन्य संगत कारकों की जांच किए बिना स्वचालित रूप से आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- ii. घरेलू उद्योग के प्रकटन विवरण के पैरा 85(ii) और (iii) में दर्ज किए गए घरेलू उद्योग के इस आरोप कि भारत को किंगदाओ हैवान के निर्यात में वृद्धि हुई जबकि तीसरे देशों को इसके निर्यात में गिरावट आई और भारत को इसकी निर्यात कीमत में गिरावट घरेलू बिक्री कीमत की तुलना में अधिक दर से हुई, अपने आप में भारतीय बाजार के चयनात्मक पाटन या लक्ष्यीकरण को सिद्ध नहीं करता है। मांग, उत्पाद मिश्रण, ग्राहक आवश्यकताओं, संविदात्मक व्यवस्थाओं और बाजार की स्थितियों के कारण विभिन्न बाजारों में मात्रा और कीमतों में अंतर उत्पन्न हो सकता है। ऐसी तुलना के आधार पर कोई प्रतिकूल अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए।
- iii. आयात की प्रवृत्ति पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना सिद्ध नहीं करते हैं। क्षति की अवधि के दौरान चीन जन.गण. से आयात में उतार-चढ़ाव आया और जांच की अवधि में 2024-25 की तुलना में गिरावट आई, और उत्पादन और खपत

के संबंध में आयात में लगातार ऊपर की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखी। घरेलू उद्योग ने मांग में वृद्धि के मुकाबले अपनी बिक्री में ***% की वृद्धि की। शुल्क की अवधि के दौरान आयात की निरंतरता संभावना सिद्ध नहीं कर सकती है।

- iv. निष्क्रिय क्षमता का औचित्य अपने आप में भारत को निर्यात में वृद्धि की संभावना को सिद्ध नहीं कर सकता है। मूल्यांकन में उत्पादक-विशिष्ट कारकों जैसे घरेलू मांग, मौजूदा निर्यात प्रतिबद्धताओं और वैकल्पिक बाजारों पर विचार किया जाना चाहिए। दो उत्पादकों की संयुक्त निष्क्रिय क्षमता को किंगदाओ हैवान के संभावित निर्यात व्यवहार के प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- v. प्रकटन विवरण स्वयं दर्शाता है कि निर्यात में भाग लेने वाले उत्पादकों के उत्पादन का केवल 15-25% हिस्सा था, जो मुख्य रूप से घरेलू बाजार की ओर उन्मुख हैं। यह निष्कर्ष कि उत्पादक काफी हद तक निर्यातोन्मुख हैं, पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।
- vi. भारत के उद्योग के क्षतिरहित कीमत से कम तीसरे देश की निर्यात कीमत यह सिद्ध नहीं करती हैं कि ऐसे निर्यात पाटित किए गए हैं या यह कि सामान भारत को क्षतिकारक कीमतों पर निर्यात किया जाएगा। तुलना को उत्पाद प्रकार, बाजार की स्थिति, व्यापार के स्तर, माल भाड़ा और अन्य समायोजन में अंतर को ध्यान में रखना चाहिए, और इसे उत्पादक-विशिष्ट आधार पर किया जाना चाहिए।
- vii. नियोजित पूंजी पर 22% आय का समान अनुप्रयोग क्षतिरहित कीमत और परिणामस्वरूप क्षति मार्जिन को बढ़ाता है। अनुमत आय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और किंगदाओ हैवान के लिए क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन की पुनर्गणना की जानी चाहिए।
- viii. प्रयोक्ताओं की गैर-भागीदारी यह सिद्ध नहीं कर सकती है कि शुल्कों की निरंतरता का निचले स्तर के उद्योगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। पिगमेंट की लागत में एराइलाइड्स की हिस्सेदारी के संबंध में घरेलू उद्योग की मान्यताओं की जांच की जानी चाहिए। घरेलू उद्योग भारत में एकमात्र उत्पादक है, और प्रयोक्ताओं के लिए उचित सोर्सिंग विकल्पों को संरक्षित किया जाना चाहिए।
- ix. बिना किसी पूर्वाग्रह के, यदि शुल्कों की निरंतरता उचित मानी भी जाती है, तो मौजूदा शुल्क बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। प्राधिकारी को उत्पादक-विशिष्ट पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और शुल्क के मौजूदा स्तर पर विचार करना चाहिए,

और किंगदाओ हैवान पर लागू मौजूदा शुल्क को बढ़ाए बिना बनाए रखा जाना चाहिए।

121. नंतोंग ने प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. प्रकटन विवरण में दर्ज किया गया है कि नैनटोंग ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया और दावा किए गए समायोजन की अनुमति देने के बाद उसके सत्यापित आंकड़ों के आधार पर उसकी निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया था। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह अंतिम जांच परिणामों में एक सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि करे। किसी भी परिवर्तन की स्थिति में, एक संशोधित प्रकटन विवरण जारी किया जाना चाहिए और टिप्पणी करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
- ii. 4 अक्टूबर 2026 की तारीख के ईमेल के माध्यम से नैनटोंग को अलग से बताया गए 10-20% के पाटन मार्जिन और 0-10% के क्षति मार्जिन के साथ निवल निर्यात कीमत ***यूएसडी/एमटी और 10-20% के पहुंच मूल्य ***यूएसडी/एमटी की पुष्टि अंतिम जांच परिणामों में की जानी चाहिए। किसी भी संशोधन के लिए संशोधित प्रकटन विवरण की आवश्यकता होगी।
- iii. अधिनियम की धारा 9क(5) और नियम 17 के साथ पठित नियम 23 जो प्राधिकारी के मैनुअल ऑफ ऑपरेटिंग प्रैक्टिस के पैरा 17.29 और नियम 23(3) की दृष्टि से समीक्षाओं पर लागू हैं, में यह अपेक्षित है कि निर्णायक समीक्षा में शुल्क की मात्रा को नए मार्जिन के आधार पर फिर से निर्धारित किया जाए। मूल शुल्क की यांत्रिक निरंतरता समीक्षा को व्यर्थ कर देगी। भारतीय ग्रेफाइट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, (2006) 199 ईएलटी 722, शंघाई फॉर्च्यून केमिकल कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2016 (342) ईएलटी 578 और रॉबिन रिसोर्सेज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2016 (342) ईएलटी 118, और एट्रज़िन टेक्निकल, सीपीवीसी, ज़ियोलाइट 4ए, पीटीएफई, एमोक्सीसिलिन, एल्युमिनियम फ़ॉइल और मेथिलिन क्लोराइड सहित कई निर्णायक समीक्षाओं में और माननीय सेस्टेट के निर्णयों पर विश्वास किया गया है, जिनमें शुल्कों को संशोधित किया गया था।
- iv. चूंकि नैनटोंग (0-10%) के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन उसके पाटन मार्जिन (10-20%) से कम है, नैनटोंग के लिए अनुशंसित कोई भी शुल्क क्षति मार्जिन तक

सीमित होना चाहिए। नान्तोंग पर लागू 26.64% की दर से मूल शुल्क जारी रखने से घरेलू उद्योग को अधिक संरक्षण मिलेगा।

- v. रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्य शुल्क के पुनः समायोजन का समर्थन करते हैं। एक एकल घरेलू उत्पादक है, मांग में बिना क्षमता में वृद्धि के वृद्धि हुई है, और मांग-आपूर्ति अंतर है। घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में सुधार हुआ है। जांच की वर्तमान अवधि में आयात का पहुंच मूल्य (रु. ***/एमटी) मूल जांच (रु. ***/एमटी) की तुलना में अधिक है, और घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत वर्तमान क्षति की अवधि के दौरान लगभग ***% की गिरावट आई है, जबकि मूल जांच की क्षति की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई थी।

3.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

122. घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र, समान वस्तु को सही निर्धारित किया है और आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है।
- ii. नांटोंग और किंगदाओ हैवान के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के बीच एक उल्लेखनीय अंतर है, हालांकि दोनों उत्पादकों ने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे निर्यात किया है। घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध बाजार आसूचना के अनुसार, दो उत्पादकों की ग्रेड-वार पहुंच कीमतें और निर्यात कीमतें समान सीमा में हैं। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह उत्पादकों के डेटा आंकड़ों की पुनः जांच करे और डीजी सिस्टम आंकड़ों के साथ इसकी पुष्टि करे।
- iii. पाटनरोधी शुल्क से घरेलू उद्योग को बाजार में बने रहने की अनुमति मिली है। निर्णायक समीक्षा का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या शुल्क की समाप्ति पर स्थिति वैसी ही रहेगी। एकमात्र उत्पादक होने के कारण, घरेलू उद्योग प्रचलित कीमतों से मेल खाने के लिए मजबूर है, जो चीनी आयात की कीमतें हैं। क्विन्गदाओ हैवान ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है, जिसमें उसने कहा है कि "याचिकाकर्ता ने चीन से विचाराधीन उत्पाद के आयात मूल्यों के आधार पर अपनी बिक्री कीमतों को समायोजित किया है"।
- iv. प्रकटन विवरण में जांचे गए कारक, अर्थात् निरंतर पाटन, मांग में 23% की वृद्धि, संबद्ध आयात में 18% की वृद्धि, सकारात्मक कीमत कटौती, कीमत हास, हानियां,

नकद हानियां, निवेश पर नकारात्मक आय और मालसूची में वृद्धि, निरंतर क्षति सिद्ध करते हैं। लागू शुल्कों के बावजूद घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी है, और शुल्क की समाप्ति की स्थिति में नुकसान काफी अधिक होगा।

- v. पाटन और क्षति की संभावना ऐसी निष्क्रिय क्षमता के बावजूद लगातार पाटन, मांग के लगभग 40% को पूरा करने वाले आयात, दो प्रतिभागी उत्पादकों की निष्क्रिय क्षमता भारतीय मांग के 130-140% के बराबर, और उनके उत्पादन के 15-25% के निर्यात से सिद्ध होती है। चिंगदाओ हैवान की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि भारत को इसके निर्यात में वृद्धि हुई (सूचकांक 100 से 284) जबकि तीसरे देशों को इसके निर्यात में गिरावट आई (सूचकांक 100 से 87), और यह कि भारत को इसके निर्यात कीमत में गिरावट घरेलू बिक्री कीमत की तुलना में तेजी से हुई, जिससे भारतीय बाजार में चयनात्मक पाटन सिद्ध होता है।
- vi. शुल्कों का जारी रहना जनहित में है। घरेलू उद्योग एरिलाइड्स के लिए समर्पित क्षमताओं के साथ दाहेज में एक नए संयंत्र में लगभग ***करोड़ रु. के निवेश को क्रियान्वित कर रहा है, जिसके लिए पर्यावरण मंजूरी रिकॉर्ड पर रखी गई है। वेलियंट एडवांस्ड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड भी संभावित रूप से संबद्ध सामानों का निर्माण शुरू करने की प्रक्रिया में है, जैसा कि उसकी पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट से स्पष्ट है। जांच में किसी भी प्रयोक्ता ने भाग नहीं लिया है। निचले स्तर के उत्पादों पर शुल्क का प्रभाव केवल 0.17% से 0.45% है, और आयात का एक काफी हिस्सा शुल्क के भुगतान के बिना अग्रिम प्राधिकार के तहत किया जाता है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे प्रयोक्ताओं ने 2024-25 में अपने पिगमेंट व्यापार में वृद्धि सूचित की है। सूची प्रबंधन, लीड टाइम, विदेशी मुद्रा जोखिम और आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन के संदर्भ में उपभोक्ताओं के हित में एक जीवंत घरेलू उद्योग है।
- vii. पांच साल की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को अपनी लाभप्रदता को पुनः प्राप्त करने, निवेश पर अपनी आय में सुधार करने और अपनी विस्तार योजनाओं को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

123. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों की प्रकटन पश्चात की टिप्पणियों की जांच की है। जो टिप्पणियां पहले के अनुरोधों की पुनरावृत्ति हैं और जिनकी पहले ही इन जांच परिणामों

के संगत खंडों में जांच की जा चुकी है, उन्हें संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं जा रहा है। प्रकटन के बाद की टिप्पणियों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने जाने वाले मुद्दों की जांच नीचे की गई है।

124. नान्तोंग और किंगदाओ हैवान के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी पुष्टि करते हैं कि दोनों उत्पादकों को सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के रूप में माना गया है और उनकी व्यक्तिगत निर्यात कीमत, पहुंच मूल्य, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को उनके सत्यापित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इन उत्पादकों के संबंध में प्रकट किए गए आवश्यक तथ्यों में कोई बदलाव नहीं है, सिवाय किंगदाओ हैवान के लिए पहुंच मूल्य और क्षति मार्जिन की गणना में एक सुधार के, जिसे तब से ठीक कर दिया गया है।
125. घरेलू उद्योग के नान्तोन्ग और किंगदाओ हैवान के लिए निर्धारित मार्जिन में अंतर की पुनः जांच करने के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक उत्पादक की निर्यात कीमत प्रश्नावली उत्तर में सूचित किए अनुसार और प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किए गए अनुसार भारत को उसकी लेनदेन-वार निर्यात बिक्री से पीसीएन-वार आधार पर निर्धारित किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत तुलना उसके अपने बाजार सूचना के अनुमानों पर आधारित है, न कि रिकॉर्ड में मौजूद वास्तविक लेनदेन आंकड़ों पर। भारित औसत मार्जिन में अंतर प्रत्येक उत्पादक द्वारा भारत और उसके पीसीएन मिश्रण के निर्यात पर प्राप्त वास्तविक कीमतों को दर्शाता है। इसलिए प्राधिकारी को निर्धारित मार्जिन को संशोधित करने का कोई कारण नहीं मिला। यह भी जोड़ा जा सकता है कि दोनों उत्पादकों की निर्यात बिक्री को डीजी सिस्टम आंकड़ों के साथ मिलाया गया था।
126. घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार के संबंध में किंगदाओ हैवान के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मात्रा मापदंडों में सुधार पाटनरोधी शुल्क लागू होने के दौरान हुआ है और शुल्क के इच्छित प्रभाव को दर्शाता है। शुल्कों के बावजूद, घरेलू उद्योग के कीमत मापदंड खराब हो गए हैं। बिक्री कीमत में क्षति की अवधि में बिक्री लागत में लगभग ***% की गिरावट के मुकाबले लगभग ***% की गिरावट आई। घरेलू उद्योग 2022-23 में लाभ से प्रत्येक अगले वर्ष में हानियों में चला गया और उसे नकद हानियां हुईं और जांच की अवधि में निवेश पर नकारात्मक आय हुई। आयात का पहुंच मूल्य, पाटनरोधी शुल्क पर विचार किए बिना, बिक्री की लागत और बिक्री कीमत, से कम है, और सभी उत्पाद प्रकारों में घरेलू कीमतों को ***% से ***% की कटौती करता है। किंगदाओ हैवान ने अपने उत्तर में स्वयं कहा है कि घरेलू उद्योग ने चीन से उत्पाद की

आयात कीमतों के आधार पर अपनी बिक्री कीमतों को समायोजित किया है, जो पुष्टि करता है कि संबद्ध आयात भारतीय बाजार में कीमत निर्धारित करते हैं। उपरोक्त खंड जे में गैर-आरोपण विश्लेषण से पता चलता है कि किसी अन्य कारक ने घरेलू उद्योग क्षति नहीं पहुंचाई है। निर्णायक समीक्षा में, प्राधिकारी को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार बार होने की संभावना है, और शुल्क की अवधि के दौरान कुछ मापदंडों में सुधार स्वयं ऐसी संभावना को नकारता नहीं है। इसलिए यह तर्क स्वीकार्य नहीं है।

127. जहां तक आयातों की प्रवृत्ति का प्रश्न है, प्राधिकारी ने इस आधार पर कार्यवाही नहीं की है कि संबद्ध आयात तेजी से बढ़ रहे हैं। लागू शुल्कों के बावजूद क्षति की अवधि में संबद्ध आयातों में 18% की वृद्धि हुई है, और जांच की अवधि में 2024-25 की तुलना में गिरावट केवल 5% है। संबद्ध आयात भारतीय खपत का लगभग ***% का कारण बना रहा। घरेलू उद्योग की बिक्री में उच्च वृद्धि पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी में हासिल की गई है। पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना की जांच सभी संगत कारकों पर संचयी रूप से विचार करने पर की गई है न कि अकेले आयातों की मात्रा पर विचार करते हुए।
128. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि निष्क्रिय क्षमता की जांच उत्पादक-विशिष्ट आधार पर की जानी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक-विशिष्ट आधार पर भी, अकेले किंगदाओ हैवान की निष्क्रिय क्षमता (*** एमटी) भारतीय मांग का लगभग ***% है, और नानटोंग (*** एमटी) की निष्क्रिय क्षमता भारतीय मांग का लगभग ***% है। ये चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के केवल दो उत्पादक हैं। घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया है कि चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों की क्षमता लगभग 267.8 केटी है, जबकि घरेलू मांग लगभग 136.6 केटी है, जिसका किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा साक्ष्य के साथ खंडन नहीं किया गया है। इस तरह की स्वतंत्र रूप से निपटान क्षमता की उपलब्धता, संबद्ध आयात के कीमत व्यवहार के साथ और इन उत्पादों के लिए भारतीय बाजार के महत्व के साथ, नियमावली के अनुबंध-II(vii) के संदर्भ में संभावना विश्लेषण के लिए संगत है।
129. निर्यातोन्मुखता के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि दो प्रतिभागी उत्पादकों के कुल निर्यात में से, *** एमटी, यानी, लगभग ***%, भारत को निर्यात किया गया था। भारत ने नानटोंग के निर्यात का लगभग ***% और किंगदाओ हैवान के निर्यात का लगभग

***% हिस्सा लिया। इसलिए, भारत इन उत्पादकों का प्रमुख निर्यात बाजार है। उनके पास उपलब्ध काफी निष्क्रिय क्षमता के साथ पढ़ने पर, यह शुल्क की समाप्ति की स्थिति में भारत को निर्यात बढ़ाने की क्षमता और प्रोत्साहन सिद्ध करता है।

130. जहां तक तीसरे देश की निर्यात कीमतों की तुलना क्षतिरहित कीमत से करने की बात है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विश्लेषण उत्पादक-विशिष्ट आधार पर किया गया है, जैसा कि उत्पादकों द्वारा उनके प्रश्नावली उत्तरों में बताई गई निर्यात कीमतों के आधार पर ऊपर खंड-I में तालिका में दिखाया गया है। विश्लेषण तीसरे देश के बाजारों में पाटन का निर्धारण नहीं है, बल्कि उन मूल्य स्तरों का एक संकेतक है जिन पर उत्पादक संबद्ध सामानों को बेचने के लिए तैयार हैं। यहां तक कि एक निर्माता-विशिष्ट आधार पर भी, नैनटोंग के तीसरे देश के निर्यात का ***% और किंगदाओ हैवान के तीसरे देश के निर्यात का ***% क्षतिरहित कीमत से कम था।
131. नियोजित पूंजी पर 22% आय के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षतिरहित कीमत को नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किया गया है, जो विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी पर 22% की उचित आय (कर-पूर्व) निर्धारित करता है। क्षतिरहित कीमत कच्ची सामग्री, यूटिलिटियों और क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग और असाधारण और गैर-आवर्ती खर्चों हटा कर विचार करके घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है। अतः यह तर्क स्वीकार्य नहीं है।
132. जहां तक जन हित का प्रश्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी प्रयोक्ता या आयातक ने अवसर के बावजूद वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया या आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं नहीं किया। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रतिकूल प्रभाव का कोई मात्रात्मक साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत अनुमान की जांच की है और नोट करते हैं कि यहां तक कि अगर पिगमेंट की लागत में निचले स्तर के उत्पादों की लागत पर प्रभाव 1% से कम (लगभग 0.35% से 0.89%) बना रहेगा। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत संबद्ध सामानों की एक काफी मात्रा का आयात किया जाता है, और इसलिए पिगमेंट का निर्यातोन्मुख उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि दाहेज में एक नई सुविधा में घरेलू उद्योग द्वारा लगभग 300 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है और वैलिएंट एडवांस्ड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संबद्ध सामानों का प्रस्तावित निर्माण किया जा रहा है, जो दर्शाता है कि उपायों

ने भारत में उत्पाद में निवेश को प्रोत्साहित किया है। सिफारिश किए गए शुल्क मौजूदा उत्पादक-विशिष्ट शुल्क हैं, जो लगभग पांच वर्षों से बिना किसी उपयोगकर्ता द्वारा प्रतिकूल प्रभाव के प्रमाण को रिकॉर्ड पर रखे बिना लागू हैं, और प्रयोक्ताओं को उचित कीमतों पर आयात तक पहुंच जारी है। इसलिए किंगदाओ हैवान का तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है।

133. जहां तक शुल्क की मात्रा का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के एक निर्णायक समीक्षा है, जिसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या मौजूदा शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है। नियम 23(1) में यह प्रावधान है कि पाटन के कारण होने वाली क्षति का मुकाबला करने के लिए जब तक और जिस हद तक आवश्यक है, तब तक शुल्क लागू रहेगा। यह नोट किया जाता है कि जांच की वर्तमान अवधि में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन उन आयातों के संबंध में निर्धारित किए गए हैं जो भारत में प्रवेश करते पाटनरोधी शुल्क लागू था, और इसलिए मौजूदा शुल्क की परिधि में निर्यातकों के कीमत निर्धारण व्यवहार को दर्शाते हैं। प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध सामानों का निर्यात पाटित कीमतों पर जारी है, आयात का पहुंच मूल्य शुल्क के बिना घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम है, और घरेलू उद्योग शुल्क लागू होने के बावजूद क्षति और निवेश पर नकारात्मक आय का सामना करना जारी रखता है। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों के साथ महत्वपूर्ण स्वतंत्र रूप से निपटान क्षमता पाई है, भारत उनका प्रमुख निर्यात बाजार है, और तीसरे देश के निर्यात मुख्य रूप से क्षतिरहित कीमत से नीचे हैं, जो एक साथ शुल्क की समाप्ति की घटना में गहन पाटन की संभावना का संकेत देते हैं। इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी का मानना है कि अधिसूचना संख्या 60/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 14 अक्टूबर 2021 के माध्यम से लगाए गए मौजूदा शुल्कों को संभावित पाटन और क्षति का मुकाबला करने के लिए आवश्यक माना जाता है। तदनुसार, नान्तोंग के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाता है कि वर्तमान जांच अवधि के लिए निर्धारित उसके क्षति मार्जिन के स्तर तक शुल्क कम किया जाए। प्राधिकारी सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए मौजूदा शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश करते हैं, जो किंदोआ हैवान के इस अनुरोध को भी हल करता है कि उस पर लागू शुल्क के मौजूदा स्तर को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए।

134. जहां तक पांच वर्षों की अवधि के लिए शुल्कों के लिए घरेलू उद्योग के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी उपर्युक्त जांच परिणामों के मद्देनजर पांच वर्षों की अवधि के लिए शुल्क की सिफारिश करना उपयुक्त मानते हैं।

ढ. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

135. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद, और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि:
- i. विचाराधीन उत्पाद "ऐरोमैटिक या हेटेरोसायक्लिक यौगिकों के एसिटो एसिटाइल डेरिवेटिव" या "एरीलाइड्स" है, जिसमें एसिटोएसिटानिलाइड (एएए), एसिटोएसिट-मेटा-ज़ाइलिडाइड (एएएमएक्स), एसिटोएसिट-ओ-एनिसिडाइड (एएओए), एसिटोएसिट-ओ-टोलुइडाइड (एएओटी) और एसिटोएसिट-ओ-क्लोरोएनीलाइड (एएओसीए) शामिल हैं। एराइलाइड के अन्य सभी रूपों को बाहर रखा गया है। इसका क्षेत्र मूल जांच के समान ही है।
 - ii. विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के उप-शीर्ष 2924 29 के तहत वर्गीकृत किया गया है और प्रशुल्क मद 2924 29 20, 2924 29 30 और 2924 29 90 के तहत आयात की गई है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
 - iii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।
 - iv. मेसर्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है और नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है। आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5 की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
 - v. नंतोंग और किंगदाओ हैवान ने जांच में भाग लिया है और निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली दायर नहीं की है, और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है।
 - vi. नांटोंग(10-20%), किंगदाओ हैवान (50-60%) और अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों (80-90 %) के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक, न्यूनतम स्तर से अधिक

है और काफी है। लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद संबद्ध सामानों का भारत को पाटित कीमतों पर निर्यात जारी है।

- vii. क्षति की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में लगभग 30% की वृद्धि हुई।
- viii. क्षति की अवधि में पूर्ण दृष्टि से संबद्ध आयातों में 18% तक वृद्धि हुई है और लागू शुल्कों के बावजूद भारतीय खपत का लगभग ***% हिस्सा बना रहा।
- ix. संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य सभी उत्पाद प्रकारों के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम है, जिसमें कीमत कटौती ***% से ***% तक है। संबद्ध आयातों का घरेलू कीमतों पर न्यूनीकरण और हासमान प्रभाव पड़ा है।
- x. जबकि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में लागू शुल्कों के साथ सुधार हुआ, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में 2023-24 से आगे, हानियां, नकद हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय हुई और उसकी मालसूची बढ़ी।
- xi. गैर-आरोपण विश्लेषण से पता चलता है कि किसी अन्य ज्ञात कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है।
- xii. नांटोंग(0-10%), किंगदाओ हैवान (30-40%) और अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों (80-90 %) के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन सकारात्मक हैं।
- xiii. जारी पाटन, प्रतिभागी उत्पादकों की काफी बेकार क्षमता (भारतीय मांग का 130-140%), भारत उनका प्रमुख निर्यात बाजार होने, आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम होने, प्रतिभागी उत्पादकों का तीसरे देशों को निर्यात क्षतिरहित कीमत से कम पूर्व प्रभावी रूप से कम कीमत वाला होने और किंगदाओ हैवान के भारत को निर्यातों में, जबकि तीसरे देशों को उसके निर्यात घटे, वृद्धि होने के मद्देनजर, शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना है।
- xiv. प्रयोक्ताओं और निचले स्तर के उद्योग पर शुल्क का प्रभाव नगण्य है।

136. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच लागू कानून के अनुसार की गई थी। सभी हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत अधिसूचित किया गया और उन्हें जांच के तहत मामलों पर सूचना प्रदान करने और अपने विचार प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया, जिसमें पाटन, क्षति, कारणात्मक संपर्क, पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना, और भारतीय उद्योग पर उपायों का प्रभाव शामिल है। प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे

हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है।

137. उपर्युक्त सिद्ध पाटन और क्षति के जारी रहने या बार बार होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी मौजूदा दरों पर दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना सं. 60/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क जारी रखे जाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के सभी आयातों पर, नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई दरों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	प्रशुल्क मद	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि (सीआईएफ मूल्य के % के रूप में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2924 29 20 और 2924 29 90	ऐरोमैटिक या हेटेरोसायक्लिक यौगिकों या "एरीलाइड्स" के एसिटो एसिटोइल डेरिवेटिव्स	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	24.79%
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	नानतोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड	26.64%
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	क्र.सं. 1 और 2 पर मौजूद उत्पादक को छोड़कर कोई उत्पादक	44.90%

क्र. सं.	प्रशुल्क मद	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि (सीआईएफ मूल्य के % के रूप में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. को छोड़कर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	44.90%

*विचाराधीन उत्पाद में एसीटोएसिटानिलाइड (एएए), एसीटोएसिट-मेटा-ज़ाइलिडाइड (एएएमएक्स), एसीटोएसिट-ओ-एनिसिडाइड (एएओए), एसीटोएसिट-ओ-टोलुइडाइड (एएओटी) और एसीटोएसिट-ओ-क्लोरोएनीलाइड (एएओसीए) शामिल हैं।

एराइलाइड के अन्य सभी रूपों को बाहर रखा गया है।

नोट: कॉलम 7 में दरे अधिसूचना संख्या 60/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 14 अक्टूबर 2021 के माध्यम से लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मौजूदा दरे हैं।

138. पाटनरोधी शुल्क आयातों के सीआईएफ मूल्य अर्थात् बीमा और भाड़ा सहित संबद्ध सामानों के निर्धारणीय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाएगा,। शुल्क भारतीय मुद्रा में देय होगा, और शुल्क के परिकलन के उद्देश्य से लागू विनिमय दर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन समय-समय पर जारी भारत सरकार की अधिसूचना में निर्धारित दर होगी, जो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 46 के तहत प्रविष्ट के बिल की प्रस्तुति की तारीख को विनिमय दर के निर्धारण के लिए संगत तारीख है।

139. उपरोक्त शुल्क तालिका में उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का आवेदन-पत्र सीमा शुल्क अधिकारियों को एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत करने पर सशर्त होगा, जिस पर ऐसे बीजक जारी करने वाली कंपनी के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा दिनांकित होगी, जो उसके नाम और कार्य से पहचाना जाएगा, जैसा कि निम्नलिखित प्रारूप में है:

'मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता हूं कि भारत को निर्यात के लिए बेचे गए ऐरोमैटिक या हेटेरोसायक्लिक यौगिकों के एसिटो एसिटाइल डेरिवेटिव (एरीलाइड्स)की मात्रा इस बीजक द्वारा कवर की गई चीन जन.गण. में (कंपनी

का नाम और पता) द्वारा निर्मित की गई थी। मैं घोषणा करता हूं कि इस बीजक में दी गई सूचना पूर्ण और सही है।

140. यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी दरों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह आवश्यकता लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए पूर्वाग्रह के बिना है।

ण. आगे की प्रक्रिया

141. इन जांच परिणामों के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी